केन्द्रीय परीक्षा समिति

राजस्व पर्षद, बिहार।

सं.सं.- 2/परी0-01 (राज0)- 01/2017- 389 (अनु0)

प्रेषक,

सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

निदेशक

सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 08-02-2017

विषयः- राजस्व पर्षद में अभिलेखों की समीक्षा, प्रश्न पत्र बनाने एवं विभागीय परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु सेवानिवृत पदाधिकारियों के पैनल गठन की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति की पांच स्वच्छ प्रति एवं सी.डी. संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संबंधित सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय तथा प्रकाशित विज्ञप्तियों की एक-एक प्रति अभिलेख के लिए इस कार्यालय को भेजी जाये।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनुलग्नकः- यथोक्त।

विश्वासभाजन

Rajesh.
08/2/17

सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार

D:\BOARD OF REVENUE\OFFICE DOCUMENT\Examination\File No. 2_Exm_01_Gaz_01_2017.docx

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सूचना

(बिहार सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी कृपया ध्यान दें)

बिहार सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं कराने (तथा उक्त पदाधिकारियों द्वारा समर्पित राजस्व वाद अभिलेखों की समीक्षा) हेतु प्रश्न-पत्र बनाने, उत्तर-पुस्तिका जाँचने एवं राजस्व वाद को जाँचने हेतु एक पैनल का गठन किया जाना है।

इस पैनल में बिहार सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून स्तर के न हो, आवेदन कर सकते हैं।

जिन सेवाओं के पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा ली जानी है, उनकी सूची विभागीय बेवसाईट देखी जा सकती है। साथ-ही अराजपत्रित कर्मचारियों की भी परीक्षाएं ली जाती हैं, इस हेतु भी इस पैनल में चयनित सदस्यों को प्रश्न-पत्र बनाना, उत्तर-पुस्तिका जाँचना इत्यादि कार्य करने होंगे।

जिन विषयों पर प्रश्न-पत्र बनाने होंगे, वे उनकी सूची भी विभागीय बेबसाईट पर देखी जा सकती है।

अन्य शर्त्ते

(1) आवेदन करनेवाले पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें हिन्दी, विधि, लेखा, विकास इत्यादि विषयों की अद्यतन जानकारी हो।

(2) बिहार सरकार के विभागीय नियम यथा-बिहार सेवा संहिता, बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली इत्याादि की जानकारी होनी चाहिए।

(3) उक्त पैनल की अवधि 03 (तीन) वर्ष की होंगी, जिसे बाद में विस्तारित किया जा सकता है।

(4) आवदेक की आयु आवेदन की तिथि को 70 वर्ष से अधिक न हो।

(5) चयनित पदाधिकारियों को पर्षद द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।

(6) इसके लिए इन्हें साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जा सकता है।

(7) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2017 है।

पर्षदीय कार्य हेतु यथा-प्रश्न-पत्र अधिकोष, उत्तर-पुस्तिका जांच इत्यादि के लिए पैनल हेतु आवेदन

---

1. आवेदक का नामः-
2. वर्त्तमान पता (दूरभाष सहित):-
3. जन्म तिथिः-
4. सेवा निवृत्ति की तिथिः-
5. कार्य अनुभव विवरणः-
6. नियुक्ति की तिथिः-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सत्य हैं, मैं अपना नाम उक्त पैनल हेतु प्रस्तावित करता हूँ। मेरे द्वारा किये गये कार्य के एवज में राजस्व पर्षद के द्वारा जो मानदेय निर्धारित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।

स्थानः- आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांकः-